न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 441/13 निर्णय दिनांकः– 29-01-2025
(जीसीएमएस संख्या 2013/00141)

1. प्रहलादराम पुत्र श्री देवाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एसडब्ल्यूएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. पृथ्वीराम पुत्र श्री उमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी जागौर हाल चक 3 एसडब्ल्यूएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

1/1 कैलाश पुत्री स्व पृथ्वीराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक 1 केडब्ल्यूएम संसारदेसर तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर।

1/2 राजेन्द्र पुत्र स्व पृथ्वीराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक 1 केडब्ल्यूएम संसारदेसर तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06–09–2013
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 1/2
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 06–09–2013 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे के चिपती भूमि का मिडियम पेच आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 2 एसडब्लयूएम के मुरब्बा नम्बर 132/43 में 24 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि के चिपता मुरब्बा नम्बर 132/22 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 9, 13 की 6 बीघा 05 बिस्वा भूमि कमाण्ड एवं किला नम्बर 5, 6, 14 ता 19 की 5 बीघा 05 बिस्वा अनकमाण्ड कुल तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध थी। जिसके आवंटन की वरियता अपीलांट् की भी होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में उसी चक में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराघात किया गया है। मिडियम पेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् चक में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का हक अपीलांट का भी बनता है अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में पूर्व से ही 57 बीघा भूमि है जो सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत भूमि के आवंटन हेतु योग्य नहीं होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। वादगत भूमि के आवंटन से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ने जो तहसील स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की है उस रिपोर्ट में अपीलांट के धारण में चिपता मुरब्बा होने के कारण अपीलांट की भूमि का वर्णन अंकित है एवं पटवारी रिपोर्ट अस्पष्ट होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया मिडियम पेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच करते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो नियमानुसार अत्याधिक बोलीदाता को उक्त भूमि का आवंटन किया जाता। उक्त कृत्य से राज्य सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुँचता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर व मनमाने तरीके से की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बतौर मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर तमाम जॉच के उपरान्त व संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त भूमि को शुद्व रूप से आराजीराज व मौके पर खाली व किसी भी प्रकार से गजट (मोहरबन्द/विशेष आवंटन गजट) में प्रकाशित नहीं होने तथा अन्य कोई विवाद/स्थगनादि नहीं होने का उल्लेख किये जाने पर व वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुरब्बें में ही निहित होने के आधार पर ही आराजी जैर का बतौर मिडियम पेच दर से देय होने के आधार पर की गई थी। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जाकर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट को वादगत भूमि की खातेदारी भी मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर तमाम अधिकार रेस्पोडेन्ट् के उत्पन्न हो चुके है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूकों का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। नाही अपीलांट् की भूमि मुरब्बा नम्बर 132/44 में निहित है। ऐसी स्थिति में बिना प्रार्थना पत्र के वादग्रस्त भूमि के आवंटन के अधिकार किस प्रकार उत्पन्न होते है, अपीलांट साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती। जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि सिलींग सीमा से अधिक का प्रश्न है अपीलांट ने कहीं भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि का अंकन नहीं किया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गई है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने धारण की भूमि एवं आवंटित भूमि का योग सीलिंग सीमा से अधिक नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित एवं रेस्पोडेन्ट को मिडियम पेच के रूप में आवंटित भूमि मुरब्बा नम्बर 132/44 के किला नम्बर नम्बर 1 ता 9, 13 व 14 की कुल तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपीलांट के मुरब्बें से सटकर होने के कारण वह आवंटन की पात्रता रखता है, परन्तु उसे आवंटन प्रकिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1975 के मिडियम पेच आवंटन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि "सरकारी भूमि का छोटा टुकड़ा ऐसे भूधृति काश्तकार जिसकी भूधृति भूमि ऐसे टुकड़ें से लगी गई है, को आवंटित की जायेगी। इसी कम में नियम 14 (2) में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रावधान है कि उसी टुकड़ें के आवंटन करने के लिये एक से अधिक काश्तकार होने की स्थिति में आवंटन उसी मुरब्बें के काश्तकार को किया जायेगा। रेस्पोडेन्ट पृथ्वीराम ने उसी मुरब्बें की भूमि का भूधृति काश्तकार होने के कारण मिडियम पेच आवंटन के लिये दिनांक 21–01–2013 को आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी ने उसी मुरब्बे तथा पड़ौसी मुरब्बें के काश्तकारों का विवरण पेश किया तथा दिनांक 06–09–2013 को आवेदित भूमि का आवंटन आवेदक पृथ्वीराम के पक्ष में कर दिया गया। अपीलांट उसी मुरब्बें का काश्तकार नहीं होने के कारण प्राथमिकता में नहीं आ रहा था तथा रेस्पोडेन्ट् पृथ्वीराम अकेला उसी मुरब्बें का काश्तकार होने के कारण अकेला ही आवंटन का पात्र था। अन्य मुरब्बें का व्यक्ति या अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ आवेदन भी करता तो आवंटन में प्राथमिकता रेस्पोडेन्ट पृथ्वीराम की ही थी क्योंकि आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुरब्बें में निहित भूमि है तथा आवंटन पश्चात् विवादित भूमि की खातेदारी सनद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी किये जाने से वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–09–2013 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29-01-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर